FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खिरवा

सुरेन्द्र वगैरा बनाम स्टेट सरकार

मुकदमा नम्बर धारा 136 आर० सी० एक्ट नं० 40 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
3-20	पत्रावली पेश हुई आवेदकगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 CR. P. Act के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम खेमू की ढाणी पटवार हल्का अरड़ावता स्थित कृषि भूमि खाता नं० 32 खसरा नम्बर 154, 179, 180, 220/68, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46 एवं भूमि खाता नं० 22 खसरा नं० 183, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 पर मूंगाराम के वारिसान सुरेन्द्र की जगह गुट्टू, रामचन्द्र की जगह पोलिया, विजयपाल की जगह विजेन्द्र, सुनिल की जगह पप्पु, प्रेमरूप की जगह प्रनरूप, सुनिया की जगह सुनिया गलत दर्ज हो गया। जिसे राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त कर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है। आवेदकगण द्वारा उपरोक्त पत्र प्रस्तुत करने रिपोर्ट तहसीलदार खिरवा ले ली गई। तहसीलदार खिरवा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि ग्राम खेमू की ढाणी की जमाबन्दी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 32 व 22 पर खातेदारो का नाम गलत दर्ज है। अतः इनके नाम गुट्टू के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र मूंगाराम, पोलिया के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र मूंगाराम, विजेन्द्र के स्थान पर विजयपाल पुत्र मूंगाराम, पप्पू के स्थान पर सुनिल पुत्र मूंगाराम, प्रनरूप के स्थान पर प्रेमरूप पुत्र मूंगाराम, सुनिया के स्थान पर सुनिया पुत्र मूंगाराम शुद्ध किया जाना उचित है। खातेदारो के आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजात संलग्न है। पत्रावली का अवलोकन किया उप खण्ड अधिकारी खिरवा जिला झुन्झुनू (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2020.11.04 14:41:01 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा के आधार पर काबिज-दखिल खाना नं० 32 व 22 राजस्व ग्राम खेमू की दाणी पटवार हल्का बख्तावता में खातेदारो का नाम गुट्टू के स्थान पर सुरेन्द्रपुत्र प्रेमाराम, पोलिया के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र प्रेमाराम, छितेन्द्र के स्थान पर विजयपाल पुत्र प्रेमाराम, पप्पु के स्थान पर सुफिल पुत्र प्रेमाराम, मनरूप के स्थान पर देवकरण पुत्र प्रेमाराम, मुकिया के स्थान पर मुकिम पुत्र प्रेमाराम का नाम दुरुस्त किये जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चिड़ावा को दिये जाते है। तहसीलदार चिड़ावा उन्हा उसार खातेदारान के नाम दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाप्ता दाखील दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
चिडावा जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2020.11.04 14:41:01 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner